



436

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

1/2018 निगरानी - ८२३७/२०१४/विदिशा) भृ. २-

श्री दिनांक २३-८-१८ को
गया आज दि. २३-८-१८ को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक ५-९-१८ नियत।

खलक अधिकारी
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
१३-८-१८

1. संतोष कुमार शर्मा पुत्र श्री रामदयाल
2. नीरज शर्मा पुत्र रामदयाल ब्राह्मण
निवासीगण लालाजीपुरावार्ड नं. ८ लटेरी
जिला विदिशा म.प्र.
3. सुरेश साहु पुत्र श्री जयाहरलाल साहु
निवासी मलनिया रोड लटेरी तहसील
लटेरी जिला विदिशा
4. प्रेमनारायण पुत्र श्री गजराज सिंह धाकड
निवासी नार्थ बस स्टेण्ड वार्ड नं. १ लटेरी
जिला विदिशा म.प्र.

..... आवेदकगण

बनान

अल्काबाई पत्नी श्री कालूराम मीना
निवासी मधुसूदन गढ वार्ड नं. १ लटेरी
जिला विदिशा म.प्र.

..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959
न्यायालय तहसीलदार लटेरी जिला विदिशा द्वारा प्रकरण → मांक 4/
ए-70/ 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 2.8.2018 के
विरुद्ध माननीय न्यायालयके समक्ष निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत
है :-

1. यहांकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक
द्वारा भूमि करवा लटेरी पटवारी हल्का नं. 30 तहसील लटेरी में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5235/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-४-१८ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	